

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली: 10.04.2018

सा.का.नि. _ (अ). - केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना के अनुसूची-1 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-1 में -

(i) सारणी च के, पैरा ॥ में, -

(क) उप-पैरा (2) के, मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा,

अर्थात्:-

“प्रत्येक प्रमाणपत्र में उससे संबंधित शेयर और प्रदत्त की गई राशि विनिर्दिष्ट की जाएगी और उस पर दो निदेशक या जिस कंपनी ने कंपनी सचिव की नियुक्ति की है, के मामले में एक निदेशक और कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा:

परंतु यदि कंपनी के पास सामान्य मुहर है, उसे प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति में लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस मद के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि एकल व्यक्ति कंपनी के मामले में, यदि कंपनी ने कंपनी सचिव की नियुक्ति की है तो एक निदेशक और कंपनी सचिव या उस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करना पर्याप्त होगा”;

(ख) उप-पैरा (79) के, मद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण:- इस उप-पैरा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2015 का 21) के प्रारंभ से और उसके पश्चात्, अर्थात् 29 मई, 2015 से कंपनी द्वारा अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के कारण मुहर रखना अपेक्षित नहीं है और

यदि किसी कंपनी के पास मुहर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इस उप-पैरा के उपबंध लागू नहीं होंगे”

(ii) सारणी ज के, पैरा 2 के उप-पैरा (30) के मद 2 के पश्चात् पर टिप्पण के पूर्व निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण:- इस उप-पैरा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2015 का 21) के प्रारंभ से और उसके पश्चात्, अर्थात् 29 मई, 2015 से कंपनी द्वारा अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के कारण मुहर रखना अपेक्षित नहीं है और यदि किसी कंपनी के पास मुहर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इस उप-पैरा के उपबंध लागू नहीं होंगे”।

[फा.सं.11/08/2012-सीएल.V-खंड XVIII]

के.वी.आर.मूर्ति
10/4/18

(के.वी.आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Notification

New Delhi: 10.04.2018.

GSR. _ (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following alteration to the Schedule I of the said Act, namely:-

2. In the Companies Act, 2013, in Schedule I, -

(i) in Table F, in paragraph II, -

(a) in sub-paragraph (2), for item (ii), the following item shall be substituted, namely:-

“Every certificate shall specify the shares to which it relates and the amount paid-up thereon and shall be signed by two directors or by a director and the company secretary, wherever the company has appointed a company secretary:

Provided that in case the company has a common seal it shall be affixed in the presence of the persons required to sign the certificate.

Explanation.- For the purposes of this item, it is hereby clarified that in case of an One Person Company, it shall be sufficient if the certificate is signed by a director and the company secretary, wherever the company has appointed a company secretary, or any other person authorised by the Board for the purpose.”;


(b) in sub-paragraph (79), after item (ii), the following explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation.- : For the purposes of this sub-paragraph it is hereby clarified that on and from the commencement of the Companies (Amendment) Act, 2015 (21 of 2015), i.e. with effect from the 29th May, 2015, company may not be required to have the seal by virtue of registration under the Act and if a company does not have the seal, the provisions of this sub-paragraph shall not be applicable.”

(ii) in Table H, in paragraph II, in sub-paragraph (30), after item (ii) but before the 'Note', the following explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation.- For the purposes of this sub-paragraph it is hereby clarified that on and from the commencement of the Companies (Amendment) Act, 2015 (21 of 2015), i.e. with effect from the 29th May, 2015, company may not be required to have the seal by virtue of registration under the Act and if a company does not have the seal, the provisions of this sub-paragraph shall not be applicable."

[F.N 11/08/2012-CL V-Vol XVII]


10/4/18
(K V R MURTY)

Joint Secretary to the Government of India